बिहार के लिए कल्याण योजनायें

1524. **श्री गया सिंह : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में लोगों के कल्याण के लिये कौन-कौन सी योजनायें बनाई गई हैं ;

(ख) क्या शिक्षा, आवास, पीने के पानी, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि के क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य दलितवर्ग के लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय, बिहार सहित, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिये अनेक केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन करता रहा है । अन्यों योजनाओं के अलावा, योजनाओं का मोटे तौर पर विवरण इस प्रकार है ।

1. अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां ।

2. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के 3 बच्चों के लिये मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति ।

3. मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये पुस्तक बैंक ।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये बालिका/बाल होस्टल ।

5. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये कोचिंग तथा संबद्ध योजनायें ।

6. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना ।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियां के कथ्वाण और विकास में लगे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता ।

8. नागरिक अधिकार संरक्षण अधि नियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ।

9. अनुसूचित जातियों/अनसूचित जन जातियों के लिये राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां ।

10. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता ।

11. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम तथा लघु वन उत्पादक के लिये राज्य आदिवासी विकास सरकारी निगम-केन्द्र सरकार द्वारा शेयरपूंजी निवेश में भागीदारी ।

12. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिये व्यवहार्य योजनाओं के वित्त पोषण हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ।

13. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय ।

14. वन मूल वृक्षों से तेलों तथा बीजों का विकास ।

15. आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को समर्थन ।

16. आदिवासी सहकारी विपणन एवं विकास परिसंघ (ट्राइफेड) को आदिवासी उत्पादों के विपणन हेतु सहायता अनुदान, मूल्य समर्थन तथा निवेश ।

17. विकलांग व्यक्तियों के लिये संगठनों को सहायता की योजना ।

18. विकलांग व्यक्तियों के लिये सहायक यंत्र तथा उपकरण खरीदने/लगाने के लिये सहायता ।

19. विकलांगों को रोजगार ।

20. जिला पुनर्वास केन्द्र ।

21. मद्यनिषेध तथा नशीली दवायों के दुरुपयोग निवारण के लिये सेवी संगठनों को सहायता ।

22. किशोर अपराध, सामाजिक कुसंमंजन का निवारण तथा नियत्रण ।

23. वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिये स्वंयसेवी संगठनों को सहायता ।

24. शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान ।

25. आर्थिक मापदडों के आधार पर कमजोर वर्गों के लिये परीक्षा पूर्व कोचिंग ।

26. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायतानुदान ।

27. बहुत कम साक्षरता स्तर की अनुसूचित जाति लड़कियों के लिये विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम ।

28. आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के लिये कम साक्षरता पाकेटो में शैक्षिक कांम्पलैक्स ।

29. आदिवासी क्षेत्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण ।

Examining the Activities of voluntary organisations

1525. SHRI AJIT P. K. JOGI:

SHRI CHHOTUBHAI PATEL:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to examine the activities of voluntary organisations getting grant from Government for the social services;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the criteria of selecting such voluntary organisations for examination?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) At the time of initial release of grant-in-aid to a voluntary organisation, the Ministry of Welfare takes into account the experience of the organisation in the related area of welfare work, its competence to take up and implement welfare schemes its general standing, the facilities and resources available with the organisation and other material information. Subsequent release of grant-in-aid to the organisation is made after evaluating its performance in implementing the welfare work on the basis of the periodical returns and reports obtained from the organisation and from the State Governments, field formations of Central Government or inspecting officers.

(c) In case of specific complaints from the general public or adverse reports from other quarters, detailed examination of the functioning of the oganisation is undertaken by obtainjng special inspection reports from the State Governments and/or other official agencies.